

को पेश हो।

23-7-24

पत्रावली में दुरुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण में तहसील दारबेगू के पत्र क्र. स/अ/म/प/ग/2024/2298 दिनांक 20-6-24 से प्रा.यत्र में अंकित द्वारा जवाब में अन्य व्यक्तियों का कब्जा होने से पाथरगढ़ी नहीं कि जा सकी है। प्रा.यत्र कब्जे के आभाव पाथरगढ़ी नहीं होने से रवारिज किया जाता है। पत्रावली में लल शुमार होकर नम्बर से काम हो। ५